भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 826
07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पैक किए गए खाद्य पदार्थ में कार्सिनोजेन्स के उच्च स्तर का खतरा

826. श्री इमरान मसूद:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिंगापुर और हांगकांग ने संदिग्ध कार्सिनोजेन्स कीटनाशकों का पता चलने के कारण अनेक भारतीय मसालों के ब्रांडों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इन चुनौतियों का सामना करने और निर्यात और घरेलू बाजार में बिक्री हेतु पैक किए गए भारतीय खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का भारत में भी संदिग्ध कार्सिनोजेनिक कीटनाशकों के प्रयोग वाले मसालों पर प्रतिबंध लगाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा डेयरी उत्पादों, मसालों और पोषण संबर्धित चावल के संबंध में किए गए किसी निरीक्षण अथवा गुणवत्ता जांच का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या ऐसे मामलों की बड़ी संख्या पर रिक्तियों के पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): वाणिज्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों ने भारतीय मसालों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। हालांकि, इससे पहले, भारत से निर्यात किए गए कुछ मसाला मिश्रणों के विशिष्ट बैचों को हांगकांग और सिंगापुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अनुमत्य सीमा से अधिक एथिलीन ऑक्साइड (ईटीओ) की मौजूदगी के कारण वापस मंगाया गया था।

मसाला बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय ने सभी चरणों में संभावित ईटीओ संदूषण को रोकने के लिए अर्थात् कच्चे माल की खरीद, प्रसंस्करण, पैकिंग, भंडारण, परिवहन आदि, आयातक देश की अलग-अलग ईटीओ सीमाओं को पूरा

करने के लिए, निर्यातकों द्वारा इन गंतव्यों को निर्यात किए जा रहे मसालों की अनिवार्य पूर्व-शिपमेंट जांच के लिए व्यापक दिशा-निर्देशों को जारी करने सहित विभिन्न कदम उठाए हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) पूरे देश में उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके लिए, एफएसएसएआई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से डेयरी उत्पादों, मसालों और फोर्टिफाइड चावल सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, निरीक्षण और यादृच्छिक नमूना लेता है, ताकि खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत निर्धारित गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों और अन्य आवश्यकताओं के अनुपालन की जाँच की जा सके। उपर्युक्त वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के मामलों में, एफएसएस अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार चूककर्ता एफबीओ के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है।

एफएसएसएआई ने वर्ष 2011, 2016, 2018, 2020, 2022 और 2023 में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के लिए पैन-इंडिया सर्विलांस संचालित की है। वर्ष 2018, 2020 और 2022 में एफएसएसएआई द्वारा की गई दुग्ध उत्पाद निगरानी की रिपोर्ट www.fssai.gov.in/cms/national-surveys.php पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। एफएसएसएआई ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की स्क्रीनिंग/त्वरित परीक्षण के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स लगाने को भी कहा है। एफएसएसएआई ने वर्ष 2022 में मसालों पर पैन इंडिया सर्विलांस संचालित की है, जिसमें 82.4% नमूने मानव उपभोग के लिए सुरक्षित पाए गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मसालों पर लक्षित प्रवर्तन अभियान चलाया गया, जिसमें 4216 नमूनों का विश्लेषण किया गया, जिनमें से 85% नमूने एफएसएस अधिनियम के अनुरूप पाए गए।

फोर्टिफाइड चावल की गुणवत्ता जांच के लिए, एफएसएसएआई ने मानकीकृत परीक्षण कार्य विधियां प्रकाशित की हैं और चावल फोर्टिफिकेशन में ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित पोर्टल (FoRTRACE-फोर्टिफाइड राइस ट्रैसेबिलिटी) तैयार किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में, एफएसएसएआई ने फोर्टिफाइड चावल पर एक नमूना जांच निरीक्षण किया था, जिसमें निरीक्षण के 672 मामलों में से गैर-अनुपालन का केवल एक मामला देखा गया था।

खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का क्रियान्वयन और प्रवर्तन, जिसमें क्षेत्र स्तर के अधिकारियों के रिक्त पदों को भरना भी शामिल है, मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य सरकारों के अधीन है। राज्य खाद्य प्राधिकरणों के कार्यकरण पर रिक्तियों का कोई प्रभाव नहीं बताया गया है।

******